बिहार सरकार

विधि विभाग

।। अ धि सू च ना ।।

पटना, दिनांक............

एस0ओ0............................ पटना, दिनांक........................

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य मुकदमा नीति (Bihar State Litigation Policy, 2011) का गठन किया गया है जो विधि विभागीय अधिसूचना सं0-1853जे0 दिनांक 31.03.2011 द्वारा अधिसूचित है।

2. उक्त अधिसूचित "बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011" के कंडिका-2(4)(क) में नीहित प्रावधान के अनुसार राज्य में बढ़ते मुकदमों की संख्या में कमी लाने तथा उनके शिकायतों का निवारण करने संबंधी सुझाव समिति को प्राप्त होगी जिसके संदर्भ में समिति द्वारा समुचित निर्णय लिया जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति" का गठन करने का निर्णय लिया है जिसके निम्नलिखित छः सदस्य तथा सचिव, विधि विभाग इसके सदस्य सचिव होगे :-

(i)	प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग	-	सदस्य
(ii)	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	-	सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	-	सदस्य
(iv)	प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	-	सदस्य
(v)	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
(vi)	प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग	-	सदस्य
(vii)	सचिव, विधि विभाग	-	सदस्य सचिव

3. उक्त समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में महाधिवक्ता, बिहार होगें।

4. उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय का कार्यान्वियन सीधे संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा। जब किसी वाद में समिति का निर्णय वृहद् रूप से नीति में परिवर्तन का मामला बनता हुआ प्रतीत होगा तो समिति द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुशंसा सरकार को की जायेगी। समिति का दायित्व होगा कि मुकदमा होने के वृहद् कारणों की पहचान कर उन अच्छे उपायों को सुझावेगी जिससे मुकदमों की बढ़ती संख्या में कमी लाया जा सके। समिति की जिम्मेदारी होगी कि वे मुकदमों से संबंधित शिकायत एवं सुझावों को प्राप्त कर उसके निस्तार के संबंध में समुचित कार्रवाई करेगी, जो सभी विभागों के लिए लागू होगा तथा इसका अनुपालन किया जाना उनका दायित्व होगा।

(सं0सं0-ए0/यो0-मुकदमा नीति-13/2011/......./जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-ए0/यो0-मुकदमा नीति-13/2011/......./जे0, पटना, दिनांक..........

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सी0डी0 प्रति (साफ्ट कॉपी) के साथ सूचनार्थ एवं बिहार गजट में प्रकाशनार्थ तथा 25(पच्चीस) गजट की प्रतियाँ इस विभाग में भेजने हेतु अग्रसारित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, बिहार।

(कृ०पृ०उ०)

D:\Adhisuchana Adhi-Litigation Policy.doc

ज्ञाप संख्या-ए0/यो0-मुकदमा नीति-13/2011/......./जे0, पटना, दिनांक..........

प्रतिलिपिः- विद्वान महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-ए0/यो0-मुकदमा नीति-13/2011/......./जे0, पटना, दिनांक..........

प्रतिलिपिः- सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-ए0/यो0-मुकदमा नीति-13/2011/3258/जे0, पटना, दिनांक 26/05/2011

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।